खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम मदन सिंह राजपुरोहित व अन्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदक :–

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त :–

1. मदनसिंह राजपुरोहित पुत्र बाबूसिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित (विक्रेता)
   फर्म :– मैसर्स श्री जोधपुर स्वीटस बस स्टेण्ड के पास, कुचामन सिटी (का हॉल कारखाना बस स्टेण्ड के पास, कुचामन सिटी) जिला नागौर।
   निवासी :– जोगावतों का बास, चावन्डा तहसील मण्डोर जिला जोधपुर।
2. श्री ऋषिपाल सिंह पुत्र डूंगरसिंह (भागीदार)
   फर्म :– मैसर्स श्री जोधपुर स्वीटस बस स्टेण्ड के पास, कुचामन सिटी (का हॉल कारखाना बस स्टेण्ड के पास, कुचामन सिटी) जिला नागौर।
   निवासी :– शाहजी का बगीचा, कुचामन सिटी जिला नागौर।
3. श्री कमल सिंह पुत्र मुल्तान सिंह (भागीदार)
   फर्म :– मैसर्स श्री जोधपुर स्वीटस बस स्टेण्ड के पास, कुचामन सिटी (का हॉल कारखाना बस स्टेण्ड के पास, कुचामन सिटी) जिला नागौर।
   निवासी :– रामनगर पाली हॉल शाहजी का बगीचा, कुचामन सिटी जिला नागौर।
4. फर्म :– मैसर्स श्री जोधपुर स्वीटस बस स्टेण्ड के पास, कुचामन सिटी (का हॉल कारखाना बस स्टेण्ड के पास, कुचामन सिटी) जिला नागौर।

प्रकरण संख्या :–34 / 2021

" अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006"

उपस्थिति :–

1. राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. मदनसिंह राजपुरोहित पुत्र बाबूसिंह राजपुरोहित।
3. श्री ऋषिपाल सिंह पुत्र डूंगरसिंह।
4. श्री कमल सिंह पुत्र मुल्तान सिंह।

–:निर्णय :–

दिनांक :–09.02.2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.11.2020 को समय 02:35 पी.एम. पर फर्म मैसर्स श्री जोधपुर स्वीटस बस स्टेण्ड के पास कुचामन सिटी (का हॉल कारखाना बस स्टेण्ड के पास कुचामनसिटी) जिला नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

में मय दल पॅहुचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री मदनसिंह राजपुरोहित पुत्र बाबूसिंह उपस्थित मिले जिनको अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते खोया सहित अन्य खाद्य पदार्थ रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान का भागीदारी फर्म होना बताया तथा फर्म के दो भागीदार श्री ऋषिपालसिंह व कमलसिंह को होना बताया। जिसकी पार्टनरशिप डीड न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। विक्रेता से वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा गया जिन्होने फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र की छाया प्रति मेरे समक्ष प्रस्तुत की जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर लगभग 40 किलो खोया एक डीप फ्रीज के अन्दर अलग–अलग चार प्लास्टिक की थैलियों में रखा हुआ था। प्रत्येक थैली में लगभग 10 किलोग्राम खोया था विक्रेता से पूछने पर बताया कि उक्त खोये को आमजन को विक्रय तथा इससे विभिन्न प्रकार के व्यंजन व मिठाईया बनाने वास्ते रखा हुआ है। मुझे इसमे मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह खोया का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त डीप फ्रीज में रखी चार प्लास्टिक की थैलियों में से रैण्डमली एक थैली निकाल कर जिसमें की लगभग 10 किलो खोया रखा हुआ था को लोहे के पलटे से अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप कर, उस में से 1 किलो खोया तुलवाकर एक साफ–सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 380/–(अक्षरे तीन सौ अस्सी रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ खोया के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **Q**–1406 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य विक्रेता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य विक्रेता मदनसिंह राजपुरोहित एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, श्री भंवरलाल, वार्ड बॉय, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुचामन सिटी के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है, शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं.6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है। श्रीमान आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा.) जयपुर का पत्रांक 823 दिनांक 23.10.2020 प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य 26.10.2020 से 14.11.2020 चलाये जा रहे **"शुद्ध के लिए युद्ध अभियान"** के अन्तर्गत किये गये नमूनीकरण/निरीक्षण एवं अन्य कार्यो की प्रभावी क्रियान्विति हेतु अभियान अवधि में राजकीय अवकाश दिवसों में राज्य में संचालित केन्द्रीय जन प्रयोगशाला जयपुर एवं सभी जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान कार्य दिवसों की भांति खुली रहेगी। जिसकी छाया प्रति न्याय निर्णायन आवेदन के साथ सलंग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्रांक–चिकि/FSSA/जॉच रिपोर्ट /2020/616–17 दिनांक 25.11.20 के साथ सलंग्न जॉच रिपोर्ट संख्या LS/502/ACT/2020/270 दिनांक 18.11.20 से खाद्य पदार्थ खोया की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य विक्रेता मदनसिंह राजपुरोहित से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ खोया का नमूना Q–1406 सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। उक्त नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया एवं खाद्य विश्लेष्क की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने फर्म को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्रांक चिकि/FSSA/जॉच रिपोर्ट /2020/616–17 दिनांक 25.11.20 खाद्य विक्रेता मदनसिंह राजपुरोहित को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु खाद्य विक्रेता मदनसिंह राजपुरोहित ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतःअभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(4) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीयों को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 26.07.2021 को प्रतिवादीयों ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादीयों की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 06.11.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर श्री राजेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिस खोया का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।

(5) प्रकरण में प्रतिवादीयों द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीयों को दिनांक 02.02.2022 को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीयों द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादीयों पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(6) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 06.11.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समय 02:35 पी.एम. पर फर्म मैसर्स श्री जोधपुर स्वीटस बस स्टेण्ड के पास, कुचामन सिटी (का हॉल कारखाना बस स्टेण्ड के पास, कुचामन सिटी) ज़िला नागौर में पॅहुचा। वहां पर खाद्य विक्रेता श्री मदनसिंह राजपुरोहित पुत्र बाबूसिंह उपस्थित मिले जिनको अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते खोया सहित अन्य खाद्य पदार्थ रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान का भागीदारी फर्म होना बताया तथा फर्म के दो भागीदार श्री ऋषिपालसिंह व कमलसिंह को होना बताया। जिसकी पार्टनरशिप डीड न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। विक्रेता से वास्ते निरीक्षणार्थ

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर)

खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा गया जिन्होने फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र की छाया प्रति मेरे समक्ष प्रस्तुत की जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(7) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर लगभग 40 किलो खोया एक डीप फ्रीज के अन्दर अलग–अलग चार प्लास्टिक की थैलियों में रखा हुआ था। प्रत्येक थैली में लगभग 10 किलोग्राम खोया था विक्रेता से पूछने पर बताया कि उक्त खोये को आमजन को विक्रय तथा इससे विभिन्न प्रकार के व्यंजन व मिठाईया बनाने वास्ते रखा हुआ है। मुझे इसमे मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह खोया का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त डीप फ्रीज में रखी चार प्लास्टिक की थैलियों में से रैण्डमली एक थैली निकाल कर जिसमें की लगभग 10 किलो खोया रखा हुआ था में से लोहे के पलटे से अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप कर, उस में से 1 किलो खोया तुलवाकर एक साफ–सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 380/–(अक्षरे तीन सौ अस्सी रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ खोया के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1406 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य विक्रेता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य विक्रेता मदनसिंह राजपुरोहित एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए, खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म :–मैसर्स श्री जोधपुर स्वीटस बस स्टेण्ड के पास, कुचामन सिटी (का हॉल कारखाना बस स्टेण्ड के पास, कुचामन सिटी) जिला नागौर। विक्रेता मदनसिंह राजपुरोहित से खाद्य पदार्थ खोया को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है। तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अगले कार्य दिवस को एक नमूना जार मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, श्री भंवरलाल, वार्ड बॉय, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुचामन सिटी के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त कर शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के **FORM-B** रिपोर्ट नं. L.S/399/Act/2020/179 दिनांक 01.11.2020 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- The Sample of **khoa (Loose)** bearig Code No. and Sr. No. Q-1378 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is **Sub-standard Food** as it does not meet to the prescribed standards And provisions of Food safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011.

(8) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ खोया की जांच रिपोर्ट संख्या LS/502/ACT/2020/270 दिनांक 18.11.2020 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य विक्रेता मदनसिंह राजपुरोहित से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ खोया का नमूना Q–.1406 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहज जुर्माने योग्य है। खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) इस प्रकार है:–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है।

धारा 51:–अवमानक खाद्य के लिए शास्ति:–

कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए विनिर्माण या मानव उपभोग के लिए भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो अवमानक है, शास्ति का, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(9) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्रांक–चिकि/FSSA/जॉच रिपोर्ट /2020/616–17 दिनांक 25.11.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

2020 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q–1406 जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म :–मैसर्स श्री जोधपुर स्वीटस बस स्टेण्ड के पास, कुचामन सिटी (का हॉल कारखाना बस स्टेण्ड के पास, कुचामन सिटी) जिला नागौर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा–(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत प्रतिवादी श्री ऋषिपाल सिंह पुत्र डूंगरसिंह (भागीदार) निवासी :–शाहजी का बगीचा, कुचामन सिटी जिला नागौर पर राशि रुपये 25000/–(अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) व श्री कमल सिंह पुत्र मुल्तान सिंह (भागीदार) निवासी :–रामनगर पाली हॉल शाहजी का बगीचा, कुचामन सिटी जिला नागौर, पर राशि रुपये 25000/–(अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(10) आदेश दिनांक 09.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
डीडवाना (नागौर)
अति० जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना

कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर)